904

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

निगरानी क्रमांक - / 2017

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2582

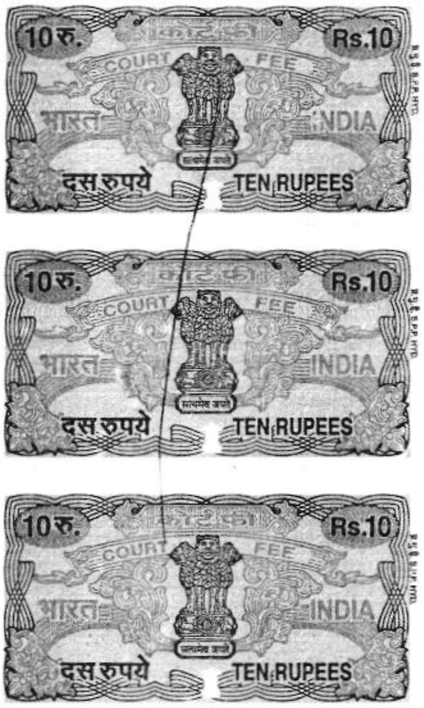

1. मनीराम उर्फ़ छिंगा पुत्र स्व. श्री झुंडा ढीमर
2. हब्बू पत्नी स्व. श्री झुंडा ढीमर
3. चतुरिया पुत्री स्व. श्री झुंडा ढीमर

समस्त निवासीगण – ग्राम जिरावनी भिटारा, तहसील प्रथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

बनाम

1. मोहन पुत्र स्व. परमा ढीमर
2. मुन्ना पुत्र स्व. परमा ढीमर
3. हीरा पुत्र स्व. परमा ढीमर
4. लख्खू पुत्र स्व. परमा ढीमर
5. सिमियाँ पत्नी स्व. परमा ढीमर
6. लड़कूँ पुत्री स्व. परमा ढीमर
7. भूरी पुत्री स्व. परमा ढीमर

समस्त निवासीगण – ग्राम जिरावनी भिटारा, तहसील प्रथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

द्वारा आज दि. 9-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2013-14 (मनीराम व आदि बनाम मुन्ना आदि) में पारित आदेश दिनांक 07/07/2017 एवं माननीय न्यायालय तहसीलदार प्रथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 3/A27/09-10 (परमा बनाम छिग्गा उर्फ़ मनीराम)में पारित आदेश दिनांक 30/04/10

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./टीकमगढ़/भू.रा./ 2017/2582 जिला-टीकमगढ़

मनीराम उर्फ छिंगा आदि विरूद्ध मोहन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 07-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-08-2017 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

09/01/19

(आर.के. जैन)
संदस्य